

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन प्रथम तल,

खण्ड-सी, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर,

फोन नम्बर- 0771-2331385, फॅक्स नम्बर - 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./शि.क.प्रको./03/राज्यपाल पुर./2023/14

नवा रायपुर दिनांक 15/06/2023

प्रति,

- 1- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।
- 2- समस्त शिक्षा अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, छत्तीसगढ़।

विषय:-राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए प्रस्ताव भेजने बाबत।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं। इस कार्यालय में प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 25.07.2023 है। जिला स्तर पर शिक्षकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14.07.2023 निर्धारित की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारीगण अपने जिले से अधिकतम 03 प्रस्ताव ही भेजेंगे। 03 से ज्यादा प्रस्ताव आने पर प्रथम के तीन प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष प्रस्तावों को मूलतः वापस किया जावेगा। प्रायः देखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव भेजने में विलंब करते हैं। इसके लिए उन्हें स्मरण पत्र प्रेषित किये जाते हैं। अतः अंतिम निर्धारित तिथि 25.07.2023 तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पत्र वाहक द्वारा शिक्षक कल्याण प्रकोष्ठ लोक शिक्षण के पास भेजना सुनिश्चित करें। शिक्षा अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका अपने शिक्षकों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 14.07.2023 तक जमा कर दें। जिला शिक्षा अधिकारी पुरस्कार के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ही भेजेंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रस्ताव देने के लिए न कहें।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए निम्नांकित दिशा-निर्देश है:-

- 1- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव भेजे जावें उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता कर लें कि अनुशंसित शिक्षक कार्यरत संस्था में नियमित कक्षा अध्यापन कराते हैं।
- 2- शिक्षक से तात्पर्य शिक्षाकर्मी, शिक्षक एल.बी., सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, व्याख्याता तथा प्राचार्य से है जो विद्यालय में कार्यरत रहकर नियमित कक्षा अध्यापन करा रहे हैं।
- 3- प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत/कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर्स व्याख्याता, प्राचार्य, स्कूल संकुल बी.आर. सी. संकुल समन्वयक, सर्पोटिंग टीचर के प्रस्ताव राज्यपाल पुरस्कार के लिये न भेजें।
- 4- राज्यपाल पुरस्कार 2023 के लिये शिक्षकों, शिक्षक एल.बी. का शिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2022 को 15 वर्ष तथा प्राचार्यों का 20 वर्ष होना अनिवार्य है। शिक्षाकर्मियों का शिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2022 को 12 वर्ष का मान्य है।
- 5- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिए भेजे जा रहे हैं उन शिक्षकों के बारे में ठीक तरह से पता कर लें कि वह शिक्षक चरित्रवान नियमित कक्षा अध्यापन करने वाले तथा निष्कलंक हो। इस संबंध में अपने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, जनप्रतिनिधि (पंच-सरपंच) आदि से पता कर लें।
- 6- प्रत्येक प्रस्ताव के आवरण पृष्ठ/फाइल पर स्पष्ट रूप से लिखा हो- "राज्य पुरस्कार 2023 के लिये"
- 7- पुरस्कार के लिये अनुशंसित शिक्षकों की पिछले 05 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली (2017 से 2022 तक) तथा दो रंगीन पासपोर्ट फोटो बंद लिफाफे में प्रस्ताव के साथ ही भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिए भेजे उनसे संबंधित निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आ.जा.क.विभाग/शिक्षा अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका द्वारा देना होगा।
- 9- पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखने के बाद वापसी योग्य नहीं होगा।

निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पद कार्यरत शाला

जिला- की सेवायें निष्कलंक है। वे नियमित कक्षा अध्यापक है तथा अध्यापन कार्य, कार्यरत विद्यालय में ही करते है। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत/जांच विभाग में अथवा अदालत में नहीं है। उन्हे दण्डित नहीं किया गया है उनका चरित्र निष्कलंक है।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

पदमुद्रा

- 10- सेवानिवृत्त शिक्षकों के प्रस्ताव मान्य नहीं है भले ही वे सेवानिवृत्ति के बाद अन्य विद्यालयों में कार्यरत हो।
- 11- राज्य स्तर पर भेजे जाने वाले प्रस्तावों में जिला चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

15.06

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

8 रायपुर छत्तीसगढ़

नया रायपुर दिनांक 15/06/2023

पृ०क्र./शि.क.प्रको./03/राज्यपाल पुर./2023/15

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
- 2- निज सचिव, माननीय मंत्री, पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
- 3- निज सचिव, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगर प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़/शासन।
- 4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग।

15.06

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

8 रायपुर छत्तीसगढ़

संलग्न निर्धारित प्रपत्र।

पार्ट-1

राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु प्रस्तावित करने के लिये निर्धारित प्रपत्र

- 1- नाम : -----
- 2- पद एवं कार्यरत शाला का पूर्ण पता पिन कोड/टेलीफोन सहित : -----
- 3- शिक्षक के निवास का पूर्ण पता पिन कोड, टेलीफोन सहित : -----
- 4- शिक्षक का स्थायी पता पिन कोड सहित : -----
- 5- विद्यालय का स्तर- प्रायमरी/माध्यमिक/हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक है : -----
- 6- जिला व राज्य : -----
- 7- जन्म तारीख : -----
- 8- वर्तमान आयु : -----
- 9- सेवा निवृत्ति की तिथि : -----
- 10- शिक्षक के रूप में कार्यारंभ तिथि एवं कुल सेवा अवधि : -----

“सेवा रिकार्ड”

संस्था का नाम (कार्यरत रहे समस्त संस्थाओं के नाम)	स्तर प्राथ. / माध्य. / हा.स्कू. / उ.मा.	व्यवस्था शासकीय अशासकीय	कुल दर्ज संख्या	कार्यरत अवधि तारीख माह वर्ष सहित	विषय जो पढ़ाया गया	कक्षा जो पढ़ाई गई	परीक्षाफल	अन्य कार्य जो किए गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-	कुल अनुभव	अवधि	
		कब से	कब तक
	शिक्षण		
	प्रशासकीय		
	अन्य प्रशिक्षण/अन्य संलग्नीकरण		

- 12- यदि प्राथमिक शिक्षक है तो शिक्षण के लिये गया ठोस उपाय। पिछले तीन वर्षों की दर्ज संख्या, शाला छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बतावें। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षक द्वारा किया गया कार्य का विवरण (साक्ष्य संलग्न करें) : -----
- 13- यदि माध्यमिक/हाईस्कूल/उ.मा. शिक्षक है तो पिछले पांच वर्षों में शाला त्यागी वाले छात्रों का प्रतिशत। शाला त्यागने से रोकने के लिए शिक्षक ने क्या उपाय किए। : -----
- 14- बोर्ड परीक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा, विषय का परीक्षाफल प्रतिशत, उत्तीर्ण की संख्या, प्रथम श्रेणी वालों की संख्या - पिछले पांच वर्षों का बतावें। : -----
- 15- विद्यालय के भौतिक विकास के लिये शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास। पिछले 05 वर्षों का बतलावें। : -----
- 16- क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरण आते हैं? पिछले 05 वर्षों में ऐसे कितने प्रस्ताव आये। : -----
- 17- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास। विस्तार से बतावें। : -----
- 18- निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से दें:- : -----
1. क्या शिक्षक ट्यूशन में लगा रहता है? : -----
 2. क्या शिक्षक की शिकायत करने/षडयंत्र करने की आदत है? : -----
 3. क्या शिक्षक समय के पाबंद है? : -----

- 19- क्या शिक्षक ने अपने छात्रों पर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिये कोई नवाचार, विशेष प्रयोग किया है? विस्तार से बतावें? (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 20- शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के लिये शिक्षक द्वारा उपयोग लाये सहायक शिक्षक सामग्री, मास मीडिया आदि के बारे में बतावें? (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 21- क्या शिक्षक ने निःसहाय/कमजोर छात्रों के लिये विशेष ध्यान या सहायता की है? यदि हां तो विस्तार से बतावें? (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 22- क्या शिक्षक ने सेवाकालीन प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भाग लिया है? यदि हां तो पिछले 05 वर्षों का विवरण दें। :
- 23- क्या शिक्षक ने विद्यालय के सहायक क्रियाकलाप अथवा अतिरिक्त क्रियाकलापों में रुचिपूर्वक कार्य किया है? यदि हां तो विस्तार से बतावें। (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 24- क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य पुस्तक आदि लिखा है। यदि हां तो विस्तार से बतावें। (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 25- क्या शिक्षक को विद्यालय से, समाज से अथवा शासन से पिछले 10 वर्षों में कोई मान्यता/पुरस्कार/ईनाम मिला है? यदि हां तो विस्तार से बतावें। (साक्ष्य संलग्न करें) :
- 26- शिक्षक की विशेष उपलब्धियों जो उपरोक्त बिन्दुओं में न आ सकी हों-बतावें। (साक्ष्य संलग्न करें) :

हस्ताक्षर

शिक्षक

पार्ट-3

- 27- छात्रों के मध्य क्या शिक्षक का प्रभाव है? : -----
- 28- क्या छात्रों को शिक्षक अनुशासन में रख सकते हैं? : -----
- 29- क्या शिक्षक अपने सहयोगी शिक्षकों अथवा अन्यो से मधुर संबंध रख सकते हैं? : -----
- 30- क्या शिक्षक को समाज से, विशेषकर पालकों से उच्च सम्मान प्राप्त है? : -----
- 31- पलक शिक्षक संघ के क्रियाकलाप में शिक्षक की सहभागिता कहाँ तक है? : -----
- 32- शाला प्रधान की शिक्षक के संबंध में अभ्युक्ति : -----
- 33- जिला शिक्षा अधिकारी की अभ्युक्ति : -----

जिला शिक्षा अधिकारी
के हस्ताक्षर, स्टैम्प सहित

पार्ट-4

जिला चयन समिति के सदस्यों की अभ्युक्ति/अनुशंसा सहित हस्ताक्षर

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

अध्यक्ष जिला चयन समिति
के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

पार्ट-5

राज्य चयन समिति सदस्यों की अनुशंसा हस्ताक्षर सहित

- 1-
- 2-
- 3-

राज्य चयन समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित